न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्रदेश ग्वालियर

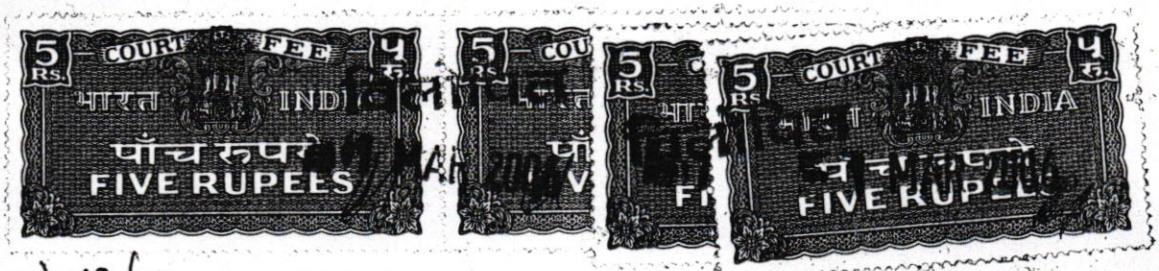

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

R 49/II/06

गंगाराम तनय हमेरो अहिर निवासी ग्राम गिरारी खुर्द तहसील पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर म0प्र0 --- आवेदक

बनाम

(1) सोनू तनय जगना गोंड
(2) मु0 ललिया बेवा पत्नी दादूराम गोंड
(3) मु0 बुन्नी } सभी निवासी ग्राम पुष्पराजगढ तह0 जि0 अनूपपुर
(4) पंचु } पिसरान दादूराम गोंड
(5) छंगू }
(6) रामनोहर }
(7) किशोरी } ---- अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव
द्वारा आज दि० 3/3/06 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

3 MAR 2006

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 बावत प्रकरण क्रमांक 313/अपील/2003-2004 आदेश दिनांक 27-1-2006

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मुकेश भार्गव
3-2-06 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 419–दो/06 जिला –अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
21–9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 313/अपील/2003 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सरांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी उसकी पुस्तैनी है व राजस्व अभिलेखों में उस का नाम दर्ज नहीं है । अतः राजस्व अभिलेखों में में नाम दर्ज किया जावे। तहसीलदार के द्वारा विधिवत सुनवाई के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार किया गया। जिस आदेश से दी होकर अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील की जहां पर तहसीलदार के	

आदेश को निरस्त कर रिकार्ड पूर्ववत दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । इसी आदेश से परिवेदति होकर यह द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील सारहीन होने से निरस्त की गई इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3- आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विवादित आराजी 58 किता आवेदकी पुस्तैनी भूमि है तथा आवेदक के पूर्वजों का कब्जा दखल था अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.4.57 को आधार मानते हुये आदेश पारित किया हे जबकि इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने और न ही इस न्यायालय में कोई प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्रस्तुत की गयी है, तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से माना है कि प्रविष्टि अनाधिकार एवं फर्जी तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश होने के कारण विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने बेरूम्याद अपील को स्वीकार करने की भूल की है। वेरूम्याद अपील पर अपीलीय न्यायालय में

खारिज करके गुण दोष पर निण्रय दिये जाने का कोई अधिकार नहीं बनता है तथा म्याद के बिनदु को वरिष्ठ न्यायालय में उठाया जा सकता है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने में आगे कहा है कि द्वितीय अपील मेमों में उठाये गये विधिक बिनदु म्याद के संबंध में कोई विचार नहीं किया जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने म्याद से वाहर प्रस्तुत अपील को गुण दोष में निर्णय दिया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि मौके पर कब्जा नहीं होने के कारण आवेदक का कब्जा मान्य करने में भूल की है जो आदेश पारित किया है वह अवैधानिक अनियममि है जो निरस्त योग्य है । आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में अंत में निवेदन किया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायदान दिलाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि विवादित आराजी दिनांक 20.11.45 को तहसीलदार के प्रकरण कमांक 645 दिनांक 24.4.45 द्वारा 1/2 हिस्सा अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया था जो दिनांक 30.4.57 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया जब से भूमिस्वामी की हैसियत से काबिज दाखिल है। उन्होंने अपने तर्क में आगे कहा गया

है कि अपीलार्थी ने किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है यह आदेश अब तक कायम है। और संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता हैं आवेदक का उक्त विवादित आराजी पर न तो स्वत्व है और नही हक ही है। संहिता की धारा लागू होने से संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत कलेक्टर से अनुमति आवश्यक है जिसे तहसीलदार ने इस आदेश का पालन करते हुये आदेश पारित किया है जो विधि अनुकूल नहीं होने से जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर उचित आदेश पारित किया है। अंत में निवेदन है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्कानुक्रम में तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अध्ययन करने, पर अभिलेख से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियों का पटटा सन 1989 में में नाम जमींदार के रूप में श्रीमान महाराजा साहब बहादुर रीवा तथा नाम काश्तकार के रूप में महाराजा साहब बहादुर रीवा तथा नाम काश्तकार के में भंजवा वल्द लोधी अहीर हिस्सा 1/2 सबनू बल्द जगन गोउ साकिन देह हिस्सा

1/2 दर्ज है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजियों में 1/2 के भूमिस्वामी आवेदक व अनावेदक के पूर्वज भूमि स्वामी थे। जहां तक संहिता की धारा 115, 116 के तहत कार्यवाही किये जाने का आदेश हे तो इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचना पूणग आदेश पारित किया है कि इतने लंबे अंतराल के बाद आवेदन प्रस्तुत करना प्रथम दृष्ट्या ही सही नियति प्रकट नहीं करता है वह उचित है। 6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि उनके द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 27.1.2006 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य